उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Electricity Transmission Division- Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233002

E-mail-eeetd2var@upptcl.org
Mob. 9415311047

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल हाइडिल
कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक 2227 वि0प्रे0खं0–गा0)/ दिनांक 12/11/2022

विषय : उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन लि0 वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे0, आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना लीज पातन के लीज ननीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा

संदर्भ :-कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी ,पर्यावरण,वन एवम् जलवायु विभाग ,उ० प्र० ,लखनऊ ।पत्रांक 962 /11 –सी –FP /UP/Trans/32650/2018,लखनऊ दिनांक 12,2022 ,कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ,ओबरा वन प्रभाग ,ओबरा - सोनभद्र –(उ०प्र०)पत्रांक 957/ओबरा /15 भू०ह० दिनांक 29.10.2022 एवम् पत्रांक 773/ओबरा /15भू०ह० दिनांक 28.9.22 ।

महोदय ,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार मागी गयी सूचना का विवरण निम्नवत है।

	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा: Geo Referenced Digital Map ,Sol Toposheet ,10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के०एम०एल० फाइल सलग्न नही किया गया है। अत: सलग्न कर आनलाइन भाग -2 में यथास्थान पर अपलोड करे।	बिंदु संख्या 1 एवम् 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है के क्रम में अवगत कराना है किउक्त लाइन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया है और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है।
2	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यत: औषधीय पौधो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सलग्न नही किया गया है। अत: सलग्न कर आन लाइन भाग -2 में अपलोड करे	
3	प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन०पी०वी० की दर पूर्व की दरो के अनुसार है जो कि त्रुटिपूण है। अत : इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन०पी०वी० की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करे तथा आनलाइन भाग -2 से पूर्व का त्रुटिपूण लागत लाभ विश्लेषण को डिलीट कर संशोधित अपलोड करे।	महोदय स्तर से होना है
4	आन लाइन भाग -2 के Addition Information Detail से पुरानी दर वाली एन०पी०वी० की गणना डिलीट कर संशोधित एन०पी०वी० की गणना अपलोड नही किया गया है।	महोदय स्तर से होना है
5	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा द्वारा दंडात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न न करके उल्लधंन न किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अत : भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिए गए प्राविधानो के अंतर्गत दंडात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न करे तथा पूर्व का त्रुटिपूण प्रमाण पत्र आन लाइन भाग -2 के Addition Information Detail से डिलीट कर अपलोड करे।	बिन्दु सं0 5,6,7, के कम में 400 के०वी० अनपरा –वाराणसी डबल सर्किट विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु लगभग 319.28 हे०वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 8 बी -197/91-एफ०सी० दि० 01.11.1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ०प्र० राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। जिसमे कोई समय सीमा नही दी गई

6	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ,हार्ड कॉपी भाग -2 (हिंदी वर्जन) के क्रमांक -6 तथा ऑनलाइन भाग -2 के क्रमांक -12 में उल्लधंन न किये जाने का उल्लेख है, जो कि ओचित्य पूण नही है। अत: स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकॉपी भाग -2 तथा ऑनलाइन भाग -2 में उल्लधंन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर तथा ऑनलाइन भाग -2से पूर्व का त्रुटिपूण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकॉपी भाग -2 डिलीट कर अपलोड करे।	है ,एवम् इसके क्रम में उप सचिव उ०प्र० शासन के आदेश स०जीआई० /444/ 14-2-93-707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे० वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ०प्र० राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था। सयुक्त सचिव उ ० प्र ० शासन के आदेश पत्र के बिंदु संख्या 03 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। "उक्त भूमि उ०प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ०प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी"। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक 320 वि०प्रे०ख०।।(व) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग में प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने के कारण तथा कोई स्पष्ट गाइड लाइन संज्ञानित न होने के कारण प्रकिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उल्लधंन से सम्बन्धित गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018, नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व में दिए गए अनुमति से। अतः उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नही किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति मे कोई समय सीमा का उल्लेख नही है अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक 320 वि०प्रे०ख०।। (व) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन सरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लधंन न माना जाये तथा दंडात्मक एन० पी०वी० न लगाया जाये।
7	दंडात्मक एन०पी०वी० जमा किये जाने की वचन बद्यता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नही की गई है ।	

अत : आप से अनुरोध है कि लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में दर्शाई गई कमियों /आपतियो (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिससे लीज नवीनीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं–(गा0) दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

4. मुख्य अभियन्ता, (पा0द0पू0), 57–जार्ज टाउन प्रयागराज।
5. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता वि0प्रे0मं0 द्वितीय, वाराणसी।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता